विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
20(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगें कि ग्राम-कादरीनगर, मशमूले बनगवां, परगना-तहसील-उतरौला, जनपद-बलरामपुर के निवासियों का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जिलाधिकारी व शासन से सत्यापन कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2024 जो कि विशेष सचिव मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त पत्र में किये गये अनुरोध पर कार्यवाही पूर्ण करा दी गई है?	डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद के पत्र दिनांक 23.02.2024 के साथ श्रीमती हदीसुन्निशा पत्नी स्व0 निजाम शेख, निवासी ग्राम बनगवां तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर का प्रार्थना पत्र कार्यालय जिलाधिकारी बलरामपुर में दिनांक 05.04.2024 को प्राप्त हुआ। आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विधिक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विधिक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) निर्गत करने हेतु सिविल न्यायालय सक्षम प्राधिकारी है। आवेदिका द्वारा कोई

उत्तराधिकारी प्रमाण जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिस कारण उत्तराधिकार प्रमाण का सत्यापन नहीं कराया गया है।

जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार परिवारजन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। आवेदिका द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवारजन प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में कार्यालय के पत्रांक-163/प्र0प0लि0 (परिवार जन-आख्या)/2023-24, दिनांक 12 दिसम्बर 2023 द्वारा स्व0 निजाम शेख पुत्र तरावक अली निवासी ग्राम बनगवां, तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर का परिवारजन प्रमाण-पत्र निर्गत करते हुए आवेदिका को उपलब्ध करा दिया गया है।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों तथा विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है?	उपर्युक्तानुसार।
(घ) उक्त पत्र में किये गये अनुरोधानुसार कार्यवाही कब तक करायेंगे?	उपर्युक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री।